उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2002)

THE UTTAR PRADESH TAJ ECONOMIC ZONE DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2002

(U.P. Act No. 13 of 2002)

उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2002]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 9 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक 10 सितम्बर, 2002 को प्रकाशित किया गया।]

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) यह 4 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में ,—

(क) 'सुविधा' का तात्पर्य सड़क, जल—सम्भरण, सड़क पर रोशनी और विद्युत प्रदाय, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा—करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण से तथा ऐसे अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवाओं या सुविधाओं से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ख) प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण से है;

(ग) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(घ) 'ताज आर्थिक परिक्षेत्र का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र से है;

(ङ) 'अध्यासी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके अध्यासन में ताज आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं;

(च) 'अन्तरिती' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से कोई भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं;

(छ) 'अवसंरचनात्क सुविधायें' के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट सेवायें भी हैं, अर्थात् :—

(एक) विद्युत का उत्पादन और प्रदाय;

(दो) जल निष्कासन, शोधन और वितरण;

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(तीन) अपशिष्ट जल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन;

(चार) सफाई और सीवर व्यवस्था प्रणाली;

(पाँच) विमानपत्तन और रेल प्रणाली;

(छः) सड़कें, पुल, उपरिगामी सेतु ; और

(सात) समान प्रकृति की कोई अन्य लोक सुविधा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(ज) शब्द और पदावली 'भवन', 'विकास', 'भवन का परिनिर्माण' और 'भूमि' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिए दिए गए हैं।

प्रधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे 'ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण' कहा जाएगा

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकारण में निम्नलिखित होंगे :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ख) नागरिक उड्डयन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	उपाध्यक्ष
(ग) कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(घ) औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
(ङ) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(च) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(छ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ज) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(झ) कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ञ) लघु उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य

(ट) नियोजन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ठ) आवास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ड) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	सदस्य
(ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वृहत्तर नोएडा	सदस्य
(ण) मुख्य विनिवेश आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(त) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य सचिव

Li"Vhdj.k :— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'सचिव' का तात्पर्य, जहाँ विभाग में प्रमुख सचिव हैं, वहाँ पर 'प्रमुख सचिव' से होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) प्राधिकरण की बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, प्राधिकरण, में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य नहीं होगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द

5–(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायं, प्राधिकरण उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों और उनकी श्रेणी ओर पदनाम अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

प्राधिकरण के कृत्य

6-(1) प्राधिकरण का कृत्य ताज आर्थिक परिक्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ताज आर्थिक परिक्षेत्र में करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से भूमि का अर्जन करना;

(ख) ताज आर्थिक परिक्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना;

(ग) तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता रिपोर्ट या यथास्थिति किसी परियोजना की, जिसे परिक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा जाय, के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और ऐसी परियोजना में निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के उपाय करना और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(घ) अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं और योजनाओं का समयानुकूल कार्यान्वयन हो;

(ङ) सहउद्यम भागीदारों को परियोजना के स्वामित्व के अनुवर्ती अन्तरण सहित ताज आर्थिक परिक्षेत्र के विभिन्न घटकों के विकास के लिए उपयुक्त सहउद्यम की व्यवस्था में प्रवेश करना;

(च) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये स्थलों का सीमांकन और विकास करना;

(छ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करना;

(ज) उस प्रयोजन को, अर्थात् औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को, निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या भूखण्ड का उपयोग किया जाएगा;

(झ) सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ञ) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूखण्डों का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना;

(ट) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना;

(ठ) प्राधिकरण द्वारा, इस निमित्त, स्वयं या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए विकास, निर्माण, प्रतिष्ठापन, प्रवर्तन, प्रबन्ध और अवसंरचनात्मक सुविधा का अनुरक्षण करना;

(ड) प्राधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सेवायें प्रदान कर रहे अभिकरणों और उसके उपभोक्ताओं के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का निपटारा करना; और

(ढ) कोई अन्य कृत्य, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की शक्ति

7–प्राधिकरण, ताज आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकरण के किसी भूमि या भवन को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम या विनियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेंच सकता है, पट्टे पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति

8–(1) ताज आर्थिक परिक्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे निदेश निर्गत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ,–

(क) किसी भवन के उत्सेध या अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप;

(ख) किसी स्थल के भवनों का संरेखण;

(ग) भवनों में और उनके आस–पास रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में और भवनों की ऊँचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्तें;

(घ) किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(ङ) दुकानों, कर्मशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्यकीय निर्माण की ऊँचाई और स्थिति का अनुकरण;

(छ) सुविधाओं का अनुरक्षण;

(ज) जिस प्रयोजन के लिए स्थान आवंटित किया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने पर निर्बन्धन;

(झ) (एक) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी ;

(दो) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण; और

(तीन) नगर के कूड़ा–करकट के समुचित निस्तारण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले साधन।

(2) प्रत्येक अन्तरिती उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेशों का पालन करेगा और यथाशक्य शीघ्र किसी भवन का परिनिर्माण करेगा या ऐसे अन्य कदम उठायेगा, जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक हों।

विनियमों का उल्लंघन करके भवनों के परिनिर्माण पर रोक

9–(1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके ताज आर्थिक परिक्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

(2) प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकता है और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) किसी भवन की वाह्य और विभाजक दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण की रीति;

(ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो;

(ग) आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊँचाई और ढाल;

(घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोकथाम के लिए किसी भवन या उसके भाग में वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह;

(ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उनकी ऊँचाई;

(च) किसी भवन में प्रवेश ओर उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन;

(छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिए आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई–चौड़ाई और वातायन की व्यवस्था;

(ज) भवनों के परिनर्माण, पूरा करने और अध्यासन के समुचित विनियमन को अग्रसर करने के लिए कोई अन्य विषय; और

(झ) प्रमाण–पत्र, जो योजना, संशोधित योजना और योजना पूरा करने से सम्बन्धित आख्या को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक और आनुषंगिक हो।

स्थल या भवन का समुचित अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

10–यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से ताज आर्थिक परिक्षेत्र के किसी भाग के समुचित नियोजन पर या सुविधा पर या वहाँ सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही और उपाय ऐसी अवधि के भीतर करे जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही या उपाय करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण स्वयं ऐसी कार्यवाही या उपाय कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

कर का उद्ग्रहण

11–(1) ताज आर्थिक परिक्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे वार्षिक कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार यथास्थिति, ऐसे स्थल या भवन के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

Li"Vhdj.k :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, से है :–

(क) विक्रय की दशा में प्रतिफल की राशि :

या

(ख) पट्टा की दशा में प्रीमियम की राशि :

या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि।

(2) यदि राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यासी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबन्ध

12–(1) प्राधिकरण अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए विहित की गयी हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गयी हो, वहाँ प्राधिकरण को इस प्रकार प्रदान की गयी सेवा के लिए उपयोक्ता–प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा उपयोगिताओं की भिन्न–भिन्न श्रेणियों के लिए उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपयोक्ता–प्रभार की दरें नियत की जाएंगी, यहाँ तक कि यह एक वार्षिक प्रत्यागम सुनिश्चित करता है जो अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था में किये गये पूंजीगत निवेश पर सोलह प्रतिशत उत्तरवर्ती–कर के प्रत्यागम से अनधिक होगा।

(4) प्राधिकरण उपयोक्ता–प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

Li"Vhdj.k :– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ,–

(1) पद 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित है;

(2) पद 'उत्तरवर्ती–कर प्रत्यागम' का तात्पर्य ऐसे शुद्ध प्रत्यागम से है, जो ऐसे आयकर के भुगतान के पश्चात् उद्भूत होता है जिसे कुल प्रत्यागम पर देय पाया जाय।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

13–उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश, नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 7 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे ; कि–

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

शास्ति का आरोपण और बकाया की वसूली की रीति

14–जहाँ कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल–धन या उसकी किस्त या प्राधिकरण द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकरण को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई चूक करता है

या जहाँ कोई अन्तरिती या अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई चूक करता है, वहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि बकाया राशि के अतिरिक्त उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूली की जाएगी।

अंतरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए समपहरण

15–(1) प्राधिकरण द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल–धन या उसकी किसी किस्त के अंशदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भवन का पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समपहरण कर सकता है।

(2) जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुनर्ग्रहण का आदेश देता है, वहाँ कलेक्टर उसके अधियाचन पर, उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।

शास्ति

16–कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर जुर्माना से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, और सतत् अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना से दण्डित किया जायगा जो प्रथम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

प्रवेश आदि की शक्ति

17–मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं प्रयोजन के लिए सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है :–

(क) कोई जाँच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करने या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल लेने के लिए ;

(ख) निर्माणाधीन कार्य का परीक्षण करने या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाने के लिए;

(ग) इस बात का पता लगाने के लिए कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसे नाप लेने और कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(घ) कोई अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो :

परन्तु ,–

(एक) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय, और अध्यासी को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को, युक्तियुक्त सूचना दिये बिना, नहीं किया जाएगा;

(दो) प्रत्येक दशा में, महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा; और

(तीन) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो, उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक ध्यान रखा जाएगा जहाँ तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिए प्रवेश किया जाता है।

अधिनियम का अभिभावी प्रभाव

18–किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन ताज आर्थिक परिक्षेत्र घोषित किये जाने पर ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जएगा।

नियम बनाने की शक्ति

19–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

20–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्य–कलाप के प्रशासन के लिए विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) प्राधिकरण की बैठक बुलाना और बैठक करना, ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिए समय और स्थान, बैठक के कार्य का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्रों के रजिस्टर का प्रपत्र;

(घ) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जानी वाली फीस;

(च) किसी अवसंरनात्मक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले प्रभार;

(छ) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जानी हो।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2002

21-(1) उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

मंत्रि-परिषद् की आर्थिक विकास समिति की सिफारिश पर राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकास करने की दृष्टि से ताज आर्थिक परिक्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था करने के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।